बिहार सरकार

विधि विभाग

।। कार्यालय आदेश ।।

का0आ0सं0-बी0/ओ0इस्ट0-05-04/2002/115/जे0, दिनांक-07.10.2014

विधि विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित सहायकों के बीच कार्यावंटन संबंधी पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेशों को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से आंशिक रूप से संशोधित करते हुये निम्नांकित सहायकों/उच्च वर्गीय लिपिक को उनके नाम के सामने उल्लेखित कार्य अगले आदेश तक आवंटित किया जाता है :-

क्र0सं0	सहायक का नाम	प्रशाखा का नाम एवं आवंटित कार्य।
1.	श्री वरूण कुमार पाण्डेय	**प्रशाखा-ए** (1) (IPC) आई0पी0सी0 की धारा-153ए, 295ए एवं अन्य धारायें जिसमें अभियोजन स्वीकृति धारा-196 CRPC एवं विधि आयोग से संबंधित कार्य। (2) श्री पाण्डेय समय-समय पर श्री मुकूल कुमार श्रीवास्तव से सहयोग प्राप्त करेंगे।
2.	श्री अजय कुमार	**प्रशाखा-बी (स्थापना)** (1) सभी व्यवहार न्यायालयों के कर्मियों के भविष्य निधि अग्रिमों से संबंधित कार्य। (2) मुख्यालय में (बि0स0से0 एवं आशुलिपिक सेवा से संबंधित) सेवापुस्त एवं उपार्जित अवकाश संबंधित कार्य एवं मुख्यालय में संविदा पर नियोजन एवं उनके पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति संबंधित कार्य। (3) श्री कुमार समय-समय पर श्री रामनाथ प्रसाद से सहयोग प्राप्त करेंगे।
3.	श्री टुनटुन साह	**प्रशाखा-बी (स्थापना)** (1) उच्च न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालयों चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति संबंधी कार्य/सेवा निवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों का चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति संबंधी कार्य। (2) श्री साह समय-समय पर श्री बटोही मण्डल से सहयोग प्राप्त करेंगे।
4.	श्री कैलाश प्रसाद	**प्रशाखा-जी (बजट)** (1) केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत कोर्ट भवन एवं आवासीय भवनों की प्रशासनिक स्वीकृति। (2) योजनान्तर्गत विभिन्न (विविध) कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति। (3) केन्द्र प्रायोजित योजना का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजना एवं बैठक संबंधी कार्य। (4) श्री प्रसाद समय-समय पर श्री दिनेश कुमार शर्मा से सहयोग प्राप्त करेंगे।
5.	श्रीमती उमा कुमारी, उच्च वर्गीय लिपिक	(1) उमा जी अपने पूर्व आवंटित कार्यो के अतिरिक्त श्री प्रेमजीत कुमार सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक द्वारा सम्पादित किये जा रहे विभागीय एवं माननीय मंत्री महोदय के दूरभाष/मोबाईल के विपत्रों का भुगतान एवं रख-रखाव तथा माननीय मंत्री के विद्युत विपत्र से संबंधित सभी कार्य। (2) उमा कुमारी समय-समय पर श्री प्रेमजीत जी से सहयोग प्राप्त करेंगी।

2. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा तथा प्रभार का आदान-प्रदान एक सप्ताह के अन्दर कर लें।

3. प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-सुरेन्द्र कुमार
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-बी0/ओ0इस्ट0-05-04/2002..7029/जे0 **पटना, दिनांक 8-10-14**

प्रतिलिपि:- सचिव-सह-विधि परामर्शी के प्रधान आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारीगण एवं सभी सहायक, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्री वरूण कुमार पाण्डेय/श्री अजय कुमार/श्री टुनटुन साह/श्री कैलाश प्रसाद, सहायक, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती उमा कुमारी, उच्च वर्गीय लिपिक/ प्रभारी प्रेषण शाखा, विधि विभाग, बिहार, पटना तथा आई0टी0 प्रबंधक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुरेन्द्र कुमार 8/10/14

(सुरेन्द्र कुमार)
सरकार के अवर सचिव, बिहार।